अपील सूचना अधिकार संख्या 128/2020 (GCMS 2020/00216) ललित सिंह पुत्र किशन लाल ओड़, कालूबास, कालूरोड़, वार्ड नं. 01, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर), राजस्थान <u>बनाम</u> उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>02.02.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी ललित सिंह स्वयं उपस्थित नहीं है पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 05.09.2020 से तीन बिन्दुओ की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निशचित समय सीमा में उसे प्राप्त नही हुई है। इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से अविलम्ब सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ललित सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.09.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते आपके जिले में दिनांक 22 मार्च 2020 से आज दिनांक तक कुल कितने व्यक्तियों को क्वारटाईन किया गया। जिन जिन व्यक्तियों को क्वारटाईन किया गया है उक्त व्यक्तियों के नाम पद व पता मोबाईल नम्बर सहित सम्पूर्ण प्रमाणिज जानकारी देने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना रूपया खर्च निर्धारित है के सम्पूर्ण प्रमाणित जानकारी देने हेतु।
क्वारटाईन किये गये व्यक्तियों पर कुल कितने रूपये आवंटित हुए कितने खर्च हुवे कितने बचत है की प्रमाण्ति जानकारी देवें।
क्वारटाईन किये गये व्यक्तियों के लिए जो भोजन, चाय, नाश्ता व बिस्किट व अन्य राशन सामग्री खरीदी है उसका बिल उपलब्ध करवाने हेतु।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला-कलेक्टर
श्रीगंगानगर

> कृपया एक महिना में सूचना उपलब्ध कराने हेतु जमा की जाने वाली राशि की जानकारी दी जाए ताकि निर्धारित शुल्क जमा कर जानकारी प्राप्त की जा सके।
>
> आवेदक अस्वीकृति होने या जानकारी की उपलब्धता नहीं होने पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 8 के अनुसार :
>
> 1. अस्वीकृति के कारण
> 2. प्रथम अपीलीय अधिकारी पद नाम की जानकारी दे।
> 3. जानकारी किसी अन्य कार्यालय से संबंधित हो तो अधिनियम के अनुसार आवेदन पर संबंधित कार्यालय को हस्तातरित कर इसी सूचना मुझे दी जाए।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक सहायता/2020/684 दिनांक 22.09.2020 से अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सूरतगढ को भिजवाते हुए पत्र की प्रति अपीलार्थी को दी है जिसमें उनके द्वारा निम्नानुसार लिखा गया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ललित सिंह पुत्र किशन लाल ओड़ साकिन वार्ड नं. 1 कालूबास, श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) के प्रा.पत्र में चाही गई सूचना का संबंध आपके कार्यालय से होने के कारण मूल प्रा. पत्र इस पत्र के संलग्न कर प्रार्थी को निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध कराने हेतु अग्रेषित किया [illegible] है। आवेदन पत्र केस साथ प्राप्त 50/– रुपये [illegible] इस कार्यालय में राजकोष में जमा करवाने हेतु रख लिया गया है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:19 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थीया द्वारा आवेदन पत्र में वांछित सूचना आवेदन पत्र के साथ प्राप्त राशि 50/— रूपये के पोस्टल ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार उपलब्ध करवायें तथा सूचना का संबंध आपके लोक प्राधिकरण से संबंधित नहीं हो तो निकटम संबन्धित प्राधिकरण को नियमानुसार अन्तरित/प्रेषित करते हुए प्रार्थी को सूचित करें।

संलग्न : मूल आवेदन।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सूरतगढ से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.09.2020 से उन्हें स्थानान्तरित किया जा चुका है। खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सूरतगढ के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की सुनवाई का क्षेत्राधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को नहीं है इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज की जाती है। आदेश की उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। अपीलार्थी यदि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश से अप्रसन्न हो तो चिकित्सा विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।पत्रावली बाद तरतीब [illegible] दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] 02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:19 IST
Reason: SelfAttested

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर